रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 1999/ज्येष्ठ 21, 1921
No. 133] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 1999/JYAISTHA 21, 1921

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 11 जून, 1999

सं. 7(1)/99-डीपीईए.—रसायन और उर्वरक मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग ने 1981 से 1987 के बीच [जब तक औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 लागू रहा] प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों के विक्रय हेतु औषध कम्पनियों द्वारा वसूल किए गए मूल्य से उत्पन्न देयताओं से संबंधित समस्त मामले की समीक्षा करने के लिए संकल्प सं. 23(2)/93-पी आई-1 दिनांक 21 मार्च, 1994 के तहत एक तीन सदस्यीय समिति गठित की है। उक्त समिति का कार्यकाल संकल्प सं. 7 (1)/98-डीपीईए दिनांक 23 जून, 1998 के द्वारा 20 जून, 1999 तक बढ़ाया गया था। कार्य के हित में उक्त समिति का कार्यकाल 20 जून, 1999 से आगे और छः महीने की अवधि के लिए अर्थात् 20 दिसम्बर, 1999 तक बढ़ाया जाता है।

2. उक्त समिति इस ढंग से अपने कार्य में तेजी लाएगी कि यह अपना कार्य बढ़ाई गई अवधि के अन्दर पूरा कर सके।

अशोक चावला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petro-chemicals)

RESOLUTION

New Delhi, the 11th June, 1999

No.7(1)/99-DPEA.—The Department of Chemicals and Petrochemicals in the Ministry of Chemicals and Fertilizers have constituted a Three Member Committee to review the entire matter relating to liabilities arising out of prices charged by the drug companies for the sale of bulk drug and formulations between 1981 to 1987 [till the Drugs (Prices Control) Order, 1979 remained in force] vide Resolution No. 23 (2)/93-PI.1 dated the 21st March, 1994. The tenure of the said Committee was extended upto 20th June, 1999, vide Resolution No. 7(1) 98-DPEA dated the 23rd June, 1998. In the interest of work, the tenure of the said Committee is further extended for a period of six months beyond 20th June, 1999 i.e. upto 20th December, 1999.

2. The Committee shall expedite its work in such a manner that it should be able to complete its task within the extended period.

ASHOK CHAWLA. Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054